न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 69-चार/1990 विरूद्ध आदेश दिनांक 3-2-1990 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 107/पुनरीक्षण/1982-83.

रामसिंह पुत्र नन्दलाल
निवासीग्राम हिलगना तहसील व जिला गुना .....आवेदक

विरूद्ध

1-मध्यप्रदेश शासन
2-डालचन्द पुत्र मुल्ला
निवासी ग्राम बजरंगगढ तहसील व जिला गुना .....अनावेदकगण

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिलकुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/10/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-2-1990 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 2 के पिता मुल्ला को ग्राम हीरापुर तहसील गुना की भूमि सर्वे क्रमांक 65 व 67 में से रकबा 11 बीघा 17 विस्वा पट्टे पर आवंटित की गई थी । इस भूमि में से उसके द्वारा 1.014 हेक्टेयर भूमि आवेदक को विक्रय कर दी गई । कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के पट्टा आवंटन प्रकरण को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर दिनांक 31-12-1970 को आदेश पारित कर मुल्ला को दिया गया पट्टा निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि क्रेता प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है उसे सुना जाये और केवल इस बिन्दु

पर विचार किया जाये कि आवेदक को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये अथवा नहीं ? कलेक्टर द्वारा प्रकरण पुनर्विलोकन में लेकर दिनांक 29-1-1981 को आदेश पारित कर पुनर्विलोकन निरस्त किया गया। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया एवं प्रकरण कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया गया । पुनः कलेक्टर द्वारा दिनांक 2-6-1983 को आदेश पारित कर कलेक्टर के आदेश दिनांक 31-12-1970 को पुनर्विलोकन में लेने का आधार नहीं होने से पुनर्विलोकन निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध फिर से अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 3-2-1990 को आदेश पारित किया जाकर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 165(7)(बी)(1) के आधार पर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया है, जबकि उक्त धारा दिनांक 24-10-1980 को प्रभावशील हुई है और आवेदक को पटटा 1969 में दिया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक 30 वर्ष पूर्व से ही प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी हो गया है और वर्ष 1970 से निरन्तर प्रकरण चलाया जाकर आवेदक को परेशान किये जाने का प्रयास किया जा रहा है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण आवेदक को पक्षकार बनाया जाकर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया था, परन्तु कलेक्टर द्वारा वरिष्ठ न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर उसे पक्षकार नहीं बनाया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी होकर उसका नामान्तरण भी प्रश्नाधीन भूमि पर हो गया है, ऐसी स्थिति में पटटा निरस्त नहीं किया जा सकता है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा केवल यही तर्क प्रस्तुत किया कि चूँकि अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा पटटे की शर्तो का उल्लंघन किया गया है, इसलिये कलेक्टर द्वारा पटटा निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है और अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि वन भूमि

होना पाये जाने के कारण अनावेदक क्रमांक 2 के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का जारी पट्टा स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर दिनांक 31-12-1970 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । उक्त आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन प्रस्तुत होने पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 29-1-1981 को आदेश पारित कर पुनर्विलोकन निरस्त किया गया है जो कि पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही है । उक्त आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर का आदेश निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है । अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में कलेक्टर द्वारा दिनांक 02-06-1983 को आदेश पारित कर पूर्व में पारित आदेश दिनांक 31-12-1970 के पुनर्विलोकन का आधार नहीं होने से पुनर्विलोकन निरस्त किया गया है, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में जो संहिता की धारा 165(7)(ख)(एक) के अन्तर्गत आवेदक को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त नहीं होने संबंधी संशोधन के आदेश दिये गये हैं उसकी इस प्रकरण में कोई आवश्यकता ही नहीं थी । अपर आयुक्त के आदेश का उक्त संशोधन अनावश्यक है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला गुना द्वारा पारित आदेश दिनांक 2-6-1983 की पुष्टि की जाती है । तथा अपर आयुक्त के आदेश का वह हिस्सा जो कलेक्टर के आदेश की पुष्टि से संबंधित है, स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर